Statement

S1. No.	High Court	Vacancies of Judges/Additional Judges as on 1.7.1996
1.	Allahabad	3
2.	Andhra Pradesh	2
3.	Bombay	8
4.	Calcutta	8
5.	Delhi	3
6.	Gauhati	1
7.	Gujarat	2
8.	Himachal Pradesh	-
9.	Jammu & Kashmir	1
10.	Karnataka	3
11.	Kerala	5
12.	Madhya Pradessh	5
13.	Madras	4
14.	Orissa	2
15.	Patna	4
16.	Punjab & Haryana	5
17.	Rajasthan	-
18.	Sikkim	1
	Total	57
II.	Supreme Court	1

Opening of Dclhi-Amritsar and Delhi-Chandigarh air route

295. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of CIVIL AVIATION & TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to open Delhi-Amritsar and Delhi-Chandigarh air route for a large number of passengers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI CM. IBRAHIM): (a) and (b) Indian Airlines is already operating flights on the sector Delhi-Amritsar and U.P.Airways on the sector Delhi-Chandigarh

(c) Does not arise.

घाटे में चल रहे एयर इंडिया के वायु-मार्गों की पहचान किया जाना

296. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया को किन-किन वायु-मार्गों पर घाटा हो रहा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एयर इंडिया को इस घाटे से उबारने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) और (ख) एयर इंडिया को यूरोप, कनाडा, यू०के०, अफ्रीका के प्रचालनों पर तथा यू०एस०ए० और सिंगापुर के लिए भारवाही प्रचालनों पर नये विमान पर ब्याज तथा मूल्यह्रास के कारण व्यय में वृद्धि, बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, रुपए के मूल्य में ह्रास इत्यादि कारणों से घाटा होता आ रहा है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने तथा राजस्व में वृद्धि के लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण मुहैया कराने के संबंध में उपबंध

297. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई उपबंध है जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने ऋणों में से कुछ न्यूनतम प्रतिशत ऋण देश की अर्थव्यवस्था के कुछ प्राथमिकता क्षेत्रों और वर्गों को दिया जाना है;